



DELHI STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

(Constituted Under the 'Legal Services Authorities Act, 1987', an Act of Parliament)

Central Office:- 3rd Floor, Rouse Avenue District Courts Complex, New Delhi - 110002

Ph. : 23232124 Email : lokadalatwing-dslsa@nic.in

PERMANENT LOK ADALAT-

(As Established u/s 22B, Legal Services Authorities Act, 1987)

APPLICATION FOR SETTLEMENT OF DISPUTE (TO BE FILLED UP BY THE APPLICANT IN DUPLICATE)

Applicant's Name.....

Address.....

Mobile No..... E-Mail Id

Name of Electricity Company.....

BRIEF SUMMARY OF DISPUTE & RELIEF CLAIMED BY THE APPLICANT

(Tick whichever is applicable)

- (i) I submit that no case pertaining to the present dispute is pending before any other Court/ Forum/Tribunal or any Authority. I also undertake not to invoke the jurisdiction of any other Court / Forum / Authority during the pendency of the present dispute before the Permanent Lok Adalat.
- (ii) I want to settle my case after summoning all the relevant records from the respondent and scrutiny thereof in this forum and after availing rebate as per the prevailing policy of the respondent company.
- (iii) I want to pay the bill amount in lump sum / installments after getting rebate in LPSC as per prevailing policy of the respondent company.
- (iv) I need an electricity connection and have requested the respondent company but my request was declined.
- (v) That the respondent company has made out a false case against me and I pray for summoning all the relevant records and if it is revealed that there was any mistake on my part, I am ready to settle the dispute on mutually agreed terms and conditions.
- (vi) Delay in making payment (part/full) as per earlier settlement, may be condoned
- (vii) In case of any other dispute please attach separate sheet.

(Attach separate sheet, if necessary. If required also add photocopies of the disputed bills and / or correspondence etc.)

I, the above named applicant hereby declare that the legal dispute detailed above which is likely to go to Court if not settled through negotiations and, therefore, it may kindly be placed before Permanent Lok Adalat so that efforts may be made for an amicable settlement.

THERE IS AN URGENCY IN THE MATTER.

- Because:
- (i) I have apprehension of disconnection of my electric connection.
 - (ii) I need restoration of electricity connection.
 - (iii) I need a new electricity connection.

(Tick whichever is applicable)

SIGNATURE OF THE APPLICANT

(FULL NAME OF THE APPLICANT)



DELHI STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

(Constituted Under the 'Legal Services Authorities Act, 1987', an Act of Parliament)

Central Office:- 3rd Floor, Rouse Avenue District Courts Complex, New Delhi - 110002

Ph. : 23232124 Email : lokadalatwing-dlsa@nic.in

PERMANENT LOK ADALAT-

(As Established u/s 22B, Legal Services Authorities Act, 1987)

1.	NAME					
2.	FATHER'S / HUSBAND NAME					
3.	AGE					
4.	ADDRESS					
5.	MOBILE NO.		WHATS APP NUMBER			
6.	EMAIL ID					
7.	C A NUMBER					
8.	IDENTITY PROOF	Voter ID	Aadhar Card		Driving License	Any other Id Proof
11.	NATURE OF DISPTUE	DT	DAE	REGULAR	MISUSE	N/C
12.	DISPUTED AMOUNT					
13.	DISTRICT					
14.	DISCOM					
15.	FILED BY	COUNSEL			APPLICANT	

DATED :

SIGNATURE OF THE APPLICANT



दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(संसद के एक अधिनियम, 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' के अंतर्गत)
केंद्रीय कार्यालय:- तीसरी मंजिल, राउज़ एवेन्यू जिला कोर्ट परिसर, नई दिल्ली - 110002
फ़ोन: 23232124 ईमेल: lokadalatwing-dslsa@nic.in
के तत्वाधान में

स्थायी लोक अदालत-

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी के तहत स्थापित)

विवाद के निपटारे के लिए प्रार्थना पत्र
(आवेदक द्वारा डुप्लीकेट में भरा जाएगा)

आवेदक का नाम -----

मोबाइल न. ----- ई-मेल आई डी -----

बिजली कंपनी का नाम -----

आवेदक के द्वारा डाले गए विवाद और राहत का संक्षिप्त सारांश

(जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाए)

- मैं यह निवेदन करता हूँ कि वर्तमान विवाद से संबंधित कोई भी मामला किसी अन्य कोर्ट/फोरम/ट्रिब्यूनल या अन्य किसी प्राधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि स्थायी लोक अदालत के समक्ष वर्तमान विवाद के लंबित रहने के दौरान मैं किसी अन्य कोर्ट/फोरम/प्राधिकरण के अधिकारक्षेत्र का उपयोग नहीं करूंगा।
 - मैं इस फोरम में प्रतिवादी के सभी संबंधित रिकार्ड की जांच और प्रतिवादी कंपनी की प्रचलित नीति के अनुसार छूट प्राप्त करने के पश्चात ही अपने केस का निपटारा करना चाहता हूँ।
 - मैं कंपनी की प्रचलित नीति के अनुसार LPSC में छूट प्राप्त करने के पश्चात ही बिल राशि का एकमुश्त/किश्तों में भुगतान करना चाहता हूँ।
 - मुझे बिजली कनेक्शन चाहिए और प्रतिवादी कंपनी से अनुरोध किया गया परंतु मेरे अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।
 - यह कि प्रतिवादी कंपनी ने मेरे विरुद्ध गलत केस बनाया है और मैं सभी संबंधित रिकार्ड को समन करने की प्रार्थना करता हूँ और अगर यह पता चलता है कि इसमें मेरी कोई गलती थी तो मैं परस्पर सहमत शर्तों पर विवाद को निपटाने के लिए तैयार हूँ।
 - पूर्व निपटान के अनुसार विलंब भुगतान (आंशिक/पूर्ण) माफ किया जा सकता है।
 - किसी अन्य विवाद के मामले में कृपया अलग शीट संलग्न करें।
- (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें। यदि आवश्यक हो तो विवादित बिल अथवा पत्राचार की प्रतिलिपि आदि भी संलग्न करें।)

मैं उपरोक्त नामित आवेदक एतद द्वारा धोषणा करता हूँ कि ऊपर वर्णित कानूनी विवाद जिसकी न्यायालय में जाने की संभावना है और जिसे बातचीत के माध्यम से नहीं सुलझाया जाता है तो इसे स्थायी लोक अदालत के समक्ष रखा जा सकता है ताकि सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के प्रयास किए जा सकें।

इस मामले को अविलंब प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है:

- क्योंकि: (i) मुझे बिजली कनेक्शन कटने की आशंका है।
(ii) बिजली कनेक्शन बहाल किए जाने की आवश्यकता है।
(iii) मुझे नए बिजली कनेक्शन की आवश्यकता है।
(जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाए)

आवेदक के हस्ताक्षर



दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(संसद के एक अधिनियम, 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' के अंतर्गत)
केंद्रीय कार्यालय:- तीसरी मंजिल, राउज़ एवेन्यू जिला कोर्ट परिसर, नई दिल्ली - 110002
फ़ोन: 23232124 ईमेल: lokadalatwing-dslsa@nic.in
के तत्वाधान में

स्थायी लोक अदालत-

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी के तहत स्थापित)

1.	नाम					
2.	पिता/पति का नाम					
3.	उम्र					
4.	पता					
5.	मोबाइल न.		व्हाट्स अप नं.			
6.	ई मेल आई.डी					
7.	सी.ए. नंबर					
8.	पहचान प्रमाण	वोटर आई.डी.	आधार कार्ड	ड्राइविंग लाइसेंस	अन्य कोई पहचान प्रमाण	
11.	विवाद की प्रकृति	डीटी	डीई	नियमित	दुरुपयोग	एन/सी
12.	विवादित राशि					
13.	जिला					
14.	डिस्काम					
15.	किसके द्वारा फाइल किया गया	अधिवक्ता			आवेदक	

दिनांक:-----

आवेदक के हस्ताक्षर